इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 11 | जून, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 12

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ	3
बैंकिंग नीतियाँ	4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ	5
पूंजी बाजार	5
विनियामक के कथन	6
आर्थिक संवेष्टन	8
नई नियुक्ति	8
विदेशी मुद्रा	9
शब्दावली	9
वित्तीय ज्ञान	10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां	10
संस्थान समाचार	10
बाजार की खबरें	11

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 03-05 जून 2026 को हुई बैठक की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 03-05 जून 2026 को हुई बैठक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

- रेपो दर 5.25% पर अपरिवर्तित रहेगी।
- स्थायी जमाराशि सुविधा दर बिना बदलाव के 5.00% बनी रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.50% पर अपरिवर्तित बनाए रखी गई है।

बाजार जोखिम पूंजी रखने वाले बैंकों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएफआर आवश्यकता हटा दी है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निवेश उच्चावचन रिज़र्व की आवश्यकता हटा दी है, जिसके साथ मौजूदा आईएफआर शेष को 'बिलो द लाइन' सांविधिक रिज़र्व, सामान्य रिज़र्व अथवा लाभ हानि खाता शेष में अंतरित करने की अनुमति दी गई है। आईएफआर ढांचे में बने रहने वाले विनियमित निकायों जिनमें शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, के लिए न्यूनतम आईएफआर आवश्यकता का निर्धारण तुलन पत्र की तिथियों पर ही किया जाएगा न कि निरंतर आधार पर। भारत में शाखाओं के जरिए परिचालन कर रहे एक विदेशी बैंक के मामले में, आईएफआर में शेष को 'भारतीय बहियों में रखे सांविधिक रिज़र्व' अथवा 'भारतीय बहियों में रखे विप्रेषणीय आधिक्य जो बैंक के भारत में कार्य करते रहने तक प्रत्यावर्तनीय न हो' में सीधे अंतरित किया जाएगा।

एफएसडीसी उप-समिति द्वारा वित्तीय क्षेत्र की घटनाओं, चुनौतियों तथा प्रगति पर चर्चा

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति ने अपनी 33वीं बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की। इसमें वित्तीय स्थिरता पर असर डालने वाले उभरते मुद्दों सहित, महत्वपूर्ण वैश्विक व घरेलू मैक्रोइकोनामिक तथा वित्तीय क्षेत्र की घटनाओं पर चर्चा की गई। विभिन्न अंतर-विनियामक मामलों में हासिल प्रगति तथा विनियामक प्रभाव आकलन की समीक्षा की गई। विनियामक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। अंतर-विनियामक तालमेल के जरिए; और उभरती चुनौतियों जिनमें भू-राजनीतिक तनाव जनित चुनौतियाँ शामिल हैं, के प्रति सतर्क रह कर वित्तीय क्षेत्र की आघात सह्यता बढ़ाने हेतु एफएसडीसी-एससी ने अपनी प्रतिबद्धता दुहराई।

आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंत्रिमंडल का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को अनुमोदित कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे हालातों की पृष्ठभूमि में, किसी अल्पावधि चलनिधि असंतुलन से उबरने हेतु पात्र ऋणियों को दी गई अतिरिक्त ऋण सुविधा के तहत, चूक की राशि हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य कर्जदाता संस्थाओं को, एमएसएमई हेतु 100% तथा गैर-एमएसएमई हेतु व एयरलाइंस क्षेत्र को 90% ऋण गारंटी कवर प्रदान करना है।

एनपीएस अभिदाता सेवानिवृत्ति आय योजनाओं से लाभान्वित होंगे

पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत एक नए सेवानिवृत्ति

उपरांत ढांचे, सेवानिवृत्ति आय योजनाओं तथा ड्रॉप डाउन विकल्पों की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य अभिदाता के सेवानिवृत्ति चरण में नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान लगाने में सुधार लाना तथा कार्पस का दीर्घजीवन सुनिश्चित करना है। नए ढांचे में अभिदाता अपने धन का एक हिस्सा संभावित बाजार-संबद्ध वृद्धि हेतु निवेशित रखने के साथ, अपने सेवानिवृत्ति कार्पस से आवधिक भुगतान प्राप्त कर सकेंगे।

एनपीएस को एनडीबी के रुपये में मूल्यवर्गित बांड में निवेश करने की अनुमति

पीएफआरडीए ने 13 मई 2026 से सरकारी तथा निजी क्षेत्र एनपीएस को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा जारी रुपये में मूल्यवर्गित बांड में निवेश करने की अनुमति दे दी है। पूर्व में, ऐसे निवेश इन्टरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्टरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी रुपये में मूल्यवर्गित बांड में ही किए जा सकते थे।

जमीनी स्तर पर कार्यरत पेंशन एजेंट के लिए पीएफआरडीए द्वारा प्रोत्साहन व्यवस्था

पेंशन समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बिलकुल निचले स्तर के एजेन्टों को सशक्त करने हेतु पीएफआरडीए ने एनपीएस संचय के तहत किए गए नामांकनों हेतु प्रति अभिदाता 100 रुपए के प्रोत्साहन ढांचे को पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के लिए भी लागू कर दिया है। 31 मार्च 2027 तक सक्रिय इस पहल के अंतर्गत, प्रोत्साहन राशि, पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित प्रारम्भिक अभिदान राशि सफलतापूर्वक मिल जाने तथा अभिदान के मौजूदा मानदंडों के अनुपालन के बाद ही जारी की जाएगी।

बैंकिंग नीतियाँ

सहकारी बैंक के निदेशकों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने कूलिंग अवधि अनिवार्य कर दी है

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के निदेशकों द्वारा बोर्ड में 10 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन वर्ष की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि लागू की है। इस कूलिंग ऑफ अवधि में, उक्त निदेशक सदस्य/ग्राहक की हैसियत को छोड़ अन्य किसी तरीके से यूसीबी/आरसीबी से नहीं जुड़े होंगे। तथापि, ऐसा कोई निदेशक यदि अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करे तो उसे अभी भी अन्य बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है।

'रिज़र्व रेवेन्यू' पद के अर्थ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-वित्तीय विवरणियाँ-प्रस्तुति और प्रकटन) छठा संशोधन निदेश, 2026 के तहत किए गए बदलावों के अनुसार 'रिज़र्व रेवेन्यू' शब्द का आशय पूंजीगत रिज़र्व से भिन्न किसी रिज़र्व से होगा। इसमें अलग से वर्गीकृत रिज़र्व को छोड़, सभी रिज़र्व शामिल होंगे। 'रिज़र्व' के अर्थ में मूल्यह्रास, नवीकरण, किसी ज्ञात देयता अथवा आस्तियों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान की राशि शामिल नहीं होगी। अनर्जक निवेशों (एनपीआई) हेतु प्रावधान के संचलन पर विवरणों को भी संशोधित कर दिया गया है।

काउंटर साइक्लिकल बफर (CCyB) का सक्रियन अभी आवश्यक नहीं: भारतीय रिज़र्व बैंक

काउंटर साइक्लिकल बफर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित ढांचे में व्यक्त है कि CCyB का सक्रियन परिस्थितियों की मांग पर, पूर्व घोषित तरीके से किया जाएगा। ढांचे में ऋण से जीडीपी अंतर को मुख्य संकेतक के रूप में प्रयुक्त करना निर्धारित है जो आवश्यकता होने पर अन्य पूरक संकेतकों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। CCyB संकेतकों की समीक्षा तथा प्रयोगसिद्ध विश्लेषण करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय है कि इस समय CCyB का सक्रियन आवश्यक नहीं है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

अधिकृत डीलरों हेतु ढांचे को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अद्यतन किया है

विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाले निकायों हेतु मानदंडों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अद्यतन किया है जिसके अनुसार मनी चेंजरों को नए लाइसेंस नहीं जारी किए जाएंगे। विनियमों में अधिकृत डीलरों (एडी) की तीन श्रेणियों को मान्यता दी गई है:

- एडी श्रेणी I - फेमा अंतर्गत कोई चालू तथा पूंजीगत खाता संव्यवहार करने की अनुमति रखने वाले लाइसेंस प्राप्त बैंक।
- एडी श्रेणी II - बैंक, एनबीएफसी, पात्र पूर्णरूपेण मनी चेंजर/फॉरेक्स करेस्पांडेंट (दो वर्ष से अधिक का अनुभव तथा 50 करोड़ रुपए का फारेक्स टर्नओवर रखने वाले)। इन्हें 25 लाख रुपए प्रति संव्यवहार तक अव्यापारिक चालू खाता संव्यवहार और विदेशी व्यापार संव्यवहार करने की अनुमति है।
- एडी श्रेणी III - वे निकाय जिनके मूल कारोबार में फारेक्स सौदे होते हैं या जो नवोन्मेषी फारेक्स संबद्ध उत्पाद बेचते हैं अद्यतन विनियमों में अनुमत कार्यकलापों को खास तौर से परिभाषित किया गया है।

कॉमन इक्विटी टियर I पूंजी में तिमाही लाभ शामिल करने हेतु संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों हेतु मानदंडों में संशोधन किया है ताकि 'अतिरिक्त अर्हक शर्त' हटा कर तिमाही आधार पर उनकी पूंजी पर्याप्तता गणना में वर्तमान वर्ष का लाभ शामिल किया जा सके। संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंक निर्धारित सूत्र सहित, कतिपय शर्तों के अधीन तिमाही आधार पर पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना हेतु वर्तमान वित्त वर्ष में लाभों को हिसाब में ले सकते हैं।

गैर-बैंक निकायों द्वारा जावक विप्रेषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमों में ढील

हाल तक, भारत में बैंकों के जरिए जावक विप्रेषण सुविधाएं देने हेतु गठजोड़ करने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं को पूर्व अनुमोदन लेना होता था। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अपेक्षा को हटा कर भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के जरिए ऐसे विप्रेषण करने हेतु एक परिचालन ढांचा जारी किया है। फेमा में संव्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाएँ पूरी करने हेतु ये बैंक पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।

पूंजी बाजार

नामांकन नियमों तथा प्रक्रियाओं में सेबी द्वारा ढील

अदावी वित्तीय आस्तियों के एकत्र होने को कम करने हेतु, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिमेट खातों तथा म्यूचुअल फंड (एमएफ) फोलियो हेतु नामांकन मानदंडों को संशोधित किया है तथा निवेशकों हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाया है। इन मानदंडों के लागू होने के बाद खुले सभी एकल खातों/फोलियो हेतु, निवेशक अनिवार्यत: नामांकन करेगा या नामांकन न करने हेतु घोषणापत्र देगा। संयुक्त धारित खातों/फोलियो में नामांकन करना ऐच्छिक होगा। प्रत्येक खाते/फोलियो के लिए निवेशक तीन नामांकन दे सकते हैं। नामांकन कितनी भी बार बदले या रद्द किए जा सकते हैं।

सेबी द्वारा संशोधित एमसीआर फार्मेट में अधिक सूक्ष्म आंकड़े लिए जाएंगे

सेबी ने मासिक संचयी रिपोर्ट (एमसीआर) फार्मेट को नया रूप दिया है जिससे रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को योजना श्रेणीकरण के अद्यतन ढांचे से जोड़ा जा सके। नए फार्मेट में, इक्विटी, कर्ज, हाइब्रिड, एक्सचेंज व्यापारित फंड, इंडेक्स फंड तथा ओवरसीज फंड सहित विभिन्न वर्गीकरणों के अधिक सूक्ष्म आंकड़े जुटाए जा सकेंगे। नवीन ढांचा अलग विशेषीकृत निवेश निधि (एसआईएफ) फार्मेट के साथ जून 2026 से लागू होगा।

आईआरआरए प्लेटफॉर्म वर्तमान समय में अपनी अप्रासंगिकता के कारण बंद कर दिया गया है

प्रतिभूति बाजार में अधिक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता तथा साइबर आघात सह्यता ढांचे के उदय के चलते 'निवेशक जोखिम कमी पहुँच प्लेटफॉर्म' (आईआरआरए) की अप्रासंगिकता को देखते हुए, सेबी ने इस प्लेटफॉर्म को बंद करने का निर्णय लिया है। 1 अक्तूबर 2023 को शुरू किया गया आईआरआरए स्टॉक ब्रोकरों को उनके द्वारा दी जाने वाली ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान के दौरान एक वैकल्पिक पहुँच केंद्र उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया था।

दैनिक एयूएम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने पर सूचकांक को यथा 'सिग्निफिकेंट' वर्गीकृत किया जाएगा

सूचकांक अभिशासन में पारदर्शिता तथा ज़िम्मेदारी बढ़ाने हेतु, सेबी एक विनियामक ढांचा लेकर आया है। इस ढांचे के अनुसार सूचकांक को तब 'सिग्निफिकेंट सूचकांक' वर्गीकृत किया जाएगा जब यह प्रत्येक वर्ष के 30 जून व 31 दिसंबर के पूर्व के छह महीनों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की दैनिक औसत संचयी प्रबंधनधीन आस्तियों से बेंचमार्क्ड हो। यह इस दायरे में बना रहेगा जब तक कि इसकी ट्रैक्ड प्रबंधनधीन आस्तियां तीन लगातार वर्षों में न्यूनतम सीमा से नीचे न गिर जाएँ।

स्टॉक की कीमतों के आंकड़े शैक्षणिक विषय वस्तु हेतु 30 दिनों के बाद ही उपलब्ध होंगे: सेबी

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम तथा डिपॉजीटरीज़ जैसी बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एमआईआई) को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया है कि शैक्षणिक तथा जागरूकता उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त बाजार कीमतों के आंकड़े में 30 दिनों की देरी अनिवार्य हो। 1 जुलाई 2026 से लागू इस नियम का उद्देश्य कीमतों के आंकड़े का दुरुपयोग रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि विषयवस्तु पूर्णत: शैक्षणिक बनी रहे।

एआई टूल्स से जोखिमों के प्रति सेबी की विनियमित संस्थाओं को चेतावनी, कार्यदल का गठन

सेबी ने सलाह जारी कर विनियमित संस्थाओं को उन्नत कृत्रिम मेधा (एआई) टूल्स चालित कमजोरी पहचानने के टूल्स जिसमें एंथ्रोपिक का एआई मॉडल माइथोस शामिल है, से उभरते जोखिमों के प्रति चेताया है। सेबी ने एमआईआई, अर्ह रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेन्टों (क्यूआरटीए), क्यूआरई तथा अन्य संबन्धित हितधारकों के प्रतिनिधियों को लेकर साइबर-सुरक्षा, एआई नामक कार्यदल गठित किया है।

विनियामक के कथन

अनिश्चितता मौद्रिक नीति परिदृश्य की परिभाषक विशेषता है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वें उच्च-स्तरीय सम्मेलन में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि अनिश्चितता मौद्रिक नीति परिदृश्य का महत्वपूर्ण पहलू ही नहीं, बल्कि परिदृश्य की परिभाषक विशेषता है। उन्होंने अनिश्चितता के बीच राह बनाने में मदद हेतु मौद्रिक नीति ढांचे में निहित सिद्धांतों की व्याख्या की। पहला सिद्धांत अनिश्चित दौर में ऑप्टिमिलिटी के ऊपर सुदृढ़ता को प्राथमिकता देना है। दूसरा अटेनुएशन का ब्रेनार्द सिद्धांत है जो नीति निर्माण में ग्रेजुयलिज़्म की बात करता है। अन्य सिद्धांतों में मुद्रास्फीति संभावनाओं का आकलन, पारदर्शिता बनाए रखना तथा स्पष्ट व प्रभावी संप्रेषण करना शामिल है।

हमारे वित्तीय बाज़ारों को गहरा तथा मजबूत करने हेतु और अधिक कार्य करने की जरूरत: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

25वें एफआईएमएमडीए - पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में अपने वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि विभिन्न बाजार खंडों के विकास हेतु कार्य करने के साथ हमने बाजार अवसंरचना को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा बाजार खंडों में विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश करने में सुविधा पर ध्यान दिया है। उल्लेखनीय प्रगति हासिल करने के बावजूद अभी बहुत कुछ किया जाना है। हमें सभी अवधियों तथा प्रतिभूतियों हेतु चलनिधि बेहतर करने, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार में सुधार लाने तथा क्रेडिट डेरिवेटिव को सुधारने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि भारतीय बैंक अंतिम उपयोगकर्ताओं की अपेक्षा केवल ऑफ-शोर मार्केट-मेकर्स से सौदा करते हैं। तथापि वैश्विक आईएनआर बाजार को ऑन-शोर करने हेतु भारतीय बैंकों को पूरे विश्व में मार्केट मेकर के रूप में उभरना होगा। एफएक्स खुदरा बाजार का उपयोग सीमित रहा है। खुदरा उपयोगकर्ताओं के साथ न्याय हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को एफएक्स खुदरा प्लेटफार्म के उपयोग को सुविधाजनक बनाने को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

बैंकिंग, संख्याओं से बढ़ कर निर्णय और अनुभव का विषय है: श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

मद्रास स्कूल ऑफ इकोनामिक्स में 12वां जी. रामचन्द्र स्मृति व्याख्यान देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे, ने कहा कि संख्याओं, मॉडलों तथा विनियमों से बढ़ कर बैंकिंग का काफी झुकाव निर्णय, अनुभव एवं जनहित की मजबूत भावना की ओर है, विशेषत: ऋण निर्णयों में जिनमें भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है। श्री स्वामीनाथन ने व्यवसाय की वास्तविक दशाओं, अभिशासन प्रथाओं तथा ऋणी व्यवहार को समझने हेतु तुलनपत्र से आगे बढ़ कर देखने के महत्व की ओर भी ध्यान दिलाया। उनका विचार था कि विनियामकों को सिर्फ सांगठनिक निष्पादन पर ध्यान देने से उठ कर सुरक्षा, दृढ़ता तथा व्यापक जनहित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आज के तेजी से बदलते वित्तीय तंत्र में निरंतर उभरती चुनौतियों, जिनमें डिजिटाइजेशन, डेटा चालित ऋण प्रदायगी तथा गैर-बैंक मध्यस्थों का सुदृढीकरण शामिल हैं, की भी चर्चा की।

मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्य अपनाने के बाद भारत में मुद्रास्फीति काफी कम हुई है: डॉ. पूनम गुप्ता, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

पिछले तीन दशक से मुद्रास्फीति नियंत्रण लक्ष्य (आईटी) वैश्विक स्तर पर एक स्थापित अवधारणा रही है। भारत ने इसे हाल ही में अपनाया है। ये विचार भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) में अपने वक्तव्य में व्यक्त किए। आईटी की अवधारणा को सर्वप्रथम न्यूज़ीलैंड में 1990 के शुरू में अपनाया गया। तब से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई), उभरते बाज़ारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में यह बेंचमार्क मौद्रिक नीति ढांचा बन चुका है। हालांकि आईटी को लेकर व्यक्त एक आम चिंता यह है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने के एकल लक्ष्य की कीमत विकास को चुकानी हो सकती है। आईटी को अंगीकार करने से पूर्व, भारत में मुद्रास्फीति हमेशा विश्व औसत तथा ईएमडीई औसत से ऊपर रही। तथापि, आईटी को अपनाने के बाद, भारत में मुद्रास्फीति अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुक़ाबले काफी नीचे आ गई है।

भारत विकास की राह पर है, समृद्धि बढ़ाने हेतु विकास ढांचे को उप-राष्ट्रीय स्तरों पर लागू करना होगा: डॉ. पूनम गुप्ता, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता ने कहा कि भारत निश्चित रूप से तेज विकास तथा मैक्रोइकोनामिक स्थिरता हासिल कर चुका है। विगत दो दशकों में प्रत्येक भारतीय राज्य ने प्रति व्यक्ति

आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। तथापि, आय में वृद्धि सभी राज्यों में एक समान नहीं रही है। यदि भारत को अपनी प्रगति जारी रखने है या यूं कहें कि 2047 तक और समृद्ध होने के लिए अपने उत्साहवर्धक विकास मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें वर्तमान विकास ढांचे को उप-राष्ट्रीय स्तरों पर लागू करना होगा। डॉ. गुप्ता ने कहा कि मुख्य प्रश्न, समृद्धि का राज्यों तथा इनके निवासियों के बीच समान वितरण करने, का है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग ने मासिक आर्थिक समीक्षा, मई 2026 जारी की है, इसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- पश्चिम एशिया विवाद एक बड़ा धक्का बन कर आया है जिसका बढ़ता हुआ असर ऊर्जा बाजार, आपूर्ति शृंखलाओं, व्यापार मार्गों तथा वैश्विक वित्तीय हालातों पर देखा जा रहा है। ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स की बढ़ी लागतों से मुद्रास्फीति दबाव भी बढ़ा है तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने मुद्रा अवस्फीति की चिंताएँ फिर से उठ खड़ी हुई हैं।
- खुदरा मुद्रास्फीति बस थोड़ी बढ़ कर 3.48% हो गई और भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्य से नीचे रही। कुछ खाद्य मदों तथा सेवाओं में दबाव बढ़ा है। इसके विपरीत थोक मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ कर 8.3% तक पहुँच गई जो मुख्यत: बढ़े वैश्विक ऊर्जा मूल्यों, करेंसी मूल्यह्रास तथा न्यून बेस प्रभाव के कारण है।
- अप्रैल 2026 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु तथा सेवा) 13.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज कर 80.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- वस्तुओं के आयात में वर्षानुवर्ष 10% की वृद्धि दर्ज की गई जो मुख्यत: सोने व चांदी के बढ़े आयात के कारण थी। इनमें क्रमश: 81.7% (वर्षानुवर्ष) व 157.2% (वर्षानुवर्ष) की बढ़ोत्तरी हुई।
- सेवाओं का निर्यात वर्षानुवर्ष 13.4% बढ़ कर 37.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जबकि सेवाओं के आयात में वर्षानुवर्ष 1.5% की कमी आई।
- वित्तवर्ष 26 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 80.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 94.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऐतिहासिक शिखर पर पहुँच गया (वर्षानुवर्ष 17.3% की वृद्धि)। यह अनिश्चित वैश्विक वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों की सतत् रुचि का परिचायक है।
- फरवरी 2026 में निवल अंतर्वाह दर्ज करने के बाद, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने विवाद शुरू होने के समय से मई 21, 2026 तक भारतीय बाज़ारों से 23.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी बहिर्वाह किया।

नई नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री गुणवीर सिंह	कार्यपालक, भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 29 मई 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6483678	682321
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5189565	546148
1.2 स्वर्ण	1069944	112600
1.3 एसडीआर	178137	18747
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	46032	4826

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

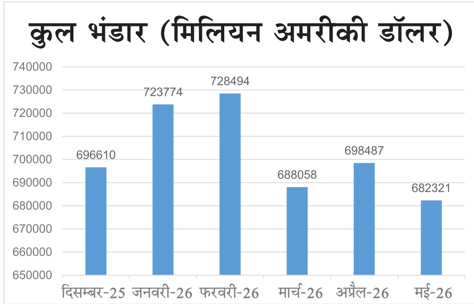

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 29 मई 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, जून 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.63
SONIA (जीबीपी)	3.729
STR (यूरो)	1.932
TONA (जापानी येन)	0.727
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.2500
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.35
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.039893

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.646
SORA (सिंगापुर डॉलर)	0.9060
HONIA (हांगकांग डॉलर)	2.08615
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5360

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

पूर्णरुपेण मनी चेंजर

पूर्णरुपेण मनी चेंजर (Full Fledged Money Changers) विदेशी मुद्रा की खरीद तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों नामत: निजी व व्यावसायिक विदेश यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा का विक्रय करने के लिए पंजीकृत कंपनियाँ होती हैं।

वित्तीय ज्ञान

संशोधित आंतरिक प्रतिफल दर

संशोधित आंतरिक प्रतिफल दर (Modified Internal Rate of Return or MIRR), नकदी प्रवाह की असामान्य प्रवृत्तियों से उत्पन्न गलतियों को सुधारने तथा आईआरआर में इस यथार्थरहित कल्पना कि मध्यवर्ती नकदी प्रवाह परियोजना की आंतरिक प्रतिफल दर पर पुनर्निवेश किए जाते हैं, को हटाने के लिए प्रयुक्त होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून 2026 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
विदेशी मुद्रा परिचालन व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पर कार्यक्रम	15-19 जून, 2026	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
प्रारंभिक ऋण कौशल (मूल्यांकन, समुचित सावधानी व निगरानी) पर कार्यक्रम	16-17 जून, 2026	वर्चुअल
ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा वसूली पर कार्यक्रम	16-18 जून, 2026	वर्चुअल
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), धनशोधन निवारण (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तपोषण रोकने (सीएफटी) पर कार्यक्रम	16-18 जून, 2026	वर्चुअल
बैंक अधिकारियों हेतु निर्यात और आयात वित्त पर कार्यक्रम	16-18 जून, 2026	पीडीसी, दक्षिणांचल, चेन्नई
बैंकों तथा एफआई के लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	17-18 जून, 2026	वर्चुअल
बैंकों/एनबीएफसी/एफआई/एसएफबी हेतु आरबीआई मार्गदर्शन आधारित परिचालन जोखिम (ओआरएम) तथा परिचालन दृढ़ता पर कार्यक्रम	23-24 जून, 2026	वर्चुअल
बैंको के लिए अनुशासन प्रबंधन, जाँच एवं अनुशासनात्मक कारवाई पर कार्यक्रम	23-25 जून, 2026	वर्चुअल
बैंकिग एवं वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता और उभरती प्रोद्योगिकियों के उपयोग पर कार्यक्रम	24-25 जून, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

''डिजिटल लेंडिंग: सुविधा, अनुपालन, समावेशन तथा ग्राहक सुरक्षा'' पर वेबिनार

आईआईबीएफ ने 5 जून 2026 को अपरान्ह 3 बजे से ''डिजिटल लेंडिंग: सुविधा, अनुपालन, समावेशन तथा ग्राहक सुरक्षा'' पर एक वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार में वक्ता आरवी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राम कुमार ककाणी थे। व्याख्यान को काफी संख्या में बैंकरों ने सुना और सराहा।

बैंकिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट लीडर्स मीट 2026

आईआईबीएफ ने 9 जून 2026 को मुंबई में बैंकिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट लीडर्स मीट 2026, विषय ''भविष्य के लिए तैयार बैंकर का निर्माण: क्षमताएँ, अनुपालन और सहयोग'' का आयोजन किया जिसमें भारत के अग्रणी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र बैंकों के लर्निंग और डेवलपमेंट प्रमुख उपस्थित थे। इस उच्च प्रभावशाली पूर्ण दिवसीय बैठक में आईआईबीएफ तथा लर्निंग और डेवलपमेंट समुदाय के बीच संवाद में भविष्य के लिए तैयार बैंकर निर्मित करने हेतु आवश्यक क्षमताओं, अनुपालन अधिदेशों तथा सहयोगात्मक ढांचों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ।

जेएआईआईबी व सीएआईआईबी की पढ़ाई हेतु फ्लिप पुस्तकें उपलब्ध

संस्थान ने जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सीएआईआईबी इलेक्टिव तथा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस परीक्षाओं हेतु अध्ययन के लिए अब पुस्तकों के डिजिटल संस्करण (फ्लिप पुस्तकें) उपलब्ध करा दी हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in पर जाएँ।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय

अप्रैल-जून 2026 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय-'वित्तीय समावेशन-आगामी चरण' रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की यह प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में नियामक द्वारा जारी किए गए हालिया घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उम्मीदवार वर्तमान घटनाक्रमों से अवगत हैं या नहीं। हालांकि, प्रश्न पत्र तैयार होने की तिथि और वास्तविक परीक्षा की तिथि के बीच घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

हरित पहल

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

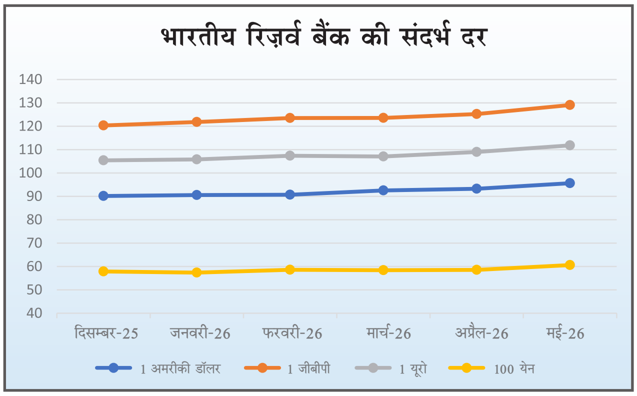

स्रोत: एफबीआईएल

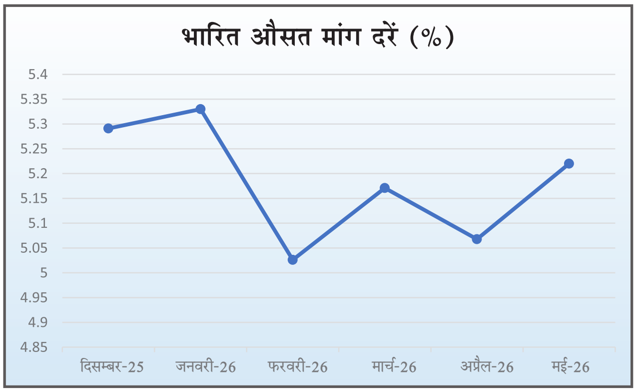

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

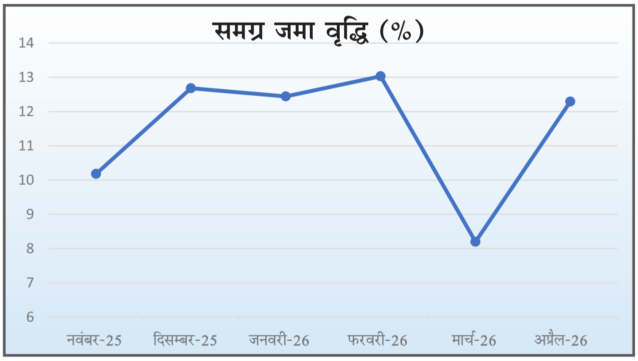

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल 2026

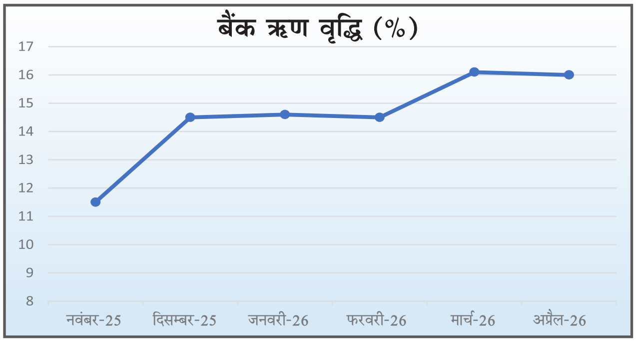

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

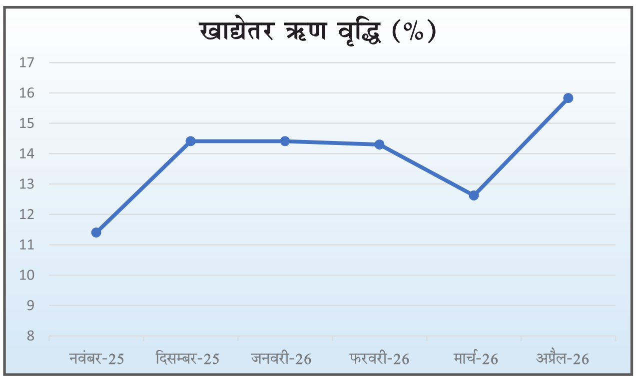

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल 2026

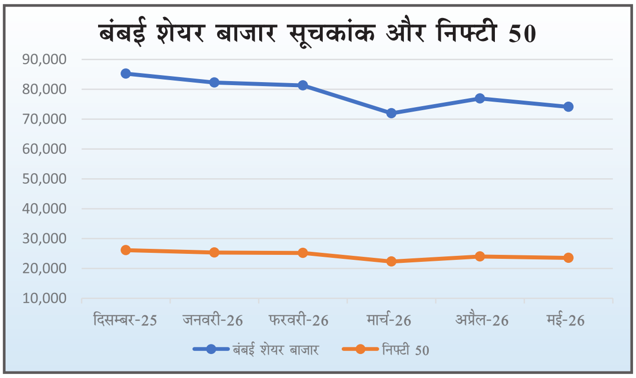

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

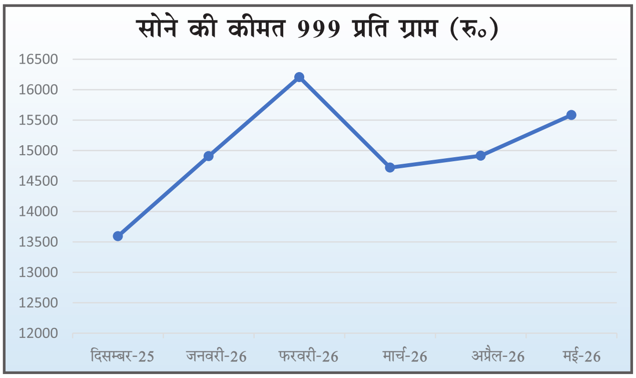

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

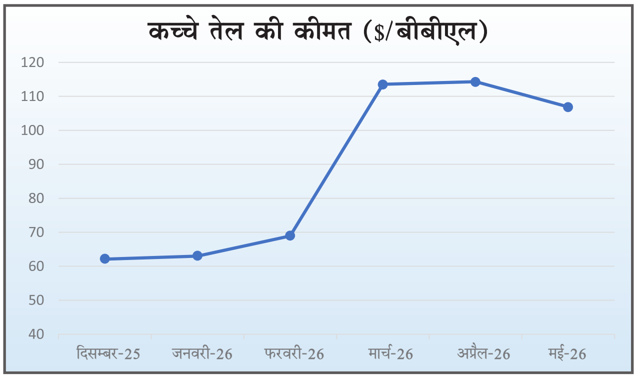

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N. M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 08069260710
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in